सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-2/2019/13(9)/1998-का-1-2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2019**

विषयः- विभागीय जांच के मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण किये जाने के संबंध ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-10276 (एस0एस0)/2019 राम रतन बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में म0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2019 के माध्यम से याची के निलम्बन आदेश दिनांक 04.12.2018 को निरस्त किये जाने हेतु निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैः-

Considering the facts and circumstances of the issue in question and also considering the dictum of Hon'ble Apex Court in re: Ajay Kumar Chaudhary (supra) this Court has got no other option except to quash the suspension order dated 4.12.2018, which is contained as Annexure no. 1 to the writ petition.

It would be necessary to indicate in this order that the aforesaid order is being passed only on account of irresponsible order being passed by the competent authority on 4.12.2018 (Annexure no. 1 to the writ petition) wherein **neither the departmental inquiry was contemplated nor initiated while issuing suspension order.** Further, even more than four months period has lapsed but no charge-sheet has been issued to the petitioner and the charge-sheet has been prepared on 11.4.2019 and enquiry officer has been appointed on 11.4.2019 only after intervention of this Court vide order dated 11.4.2019, as discussed above.

It appears that while passing the office order dated 4.12.2018, the suspension order, the authority concerned have not cared the legal proposition / provisions on the issue and just placed the petitioner under suspension as if it is a punishment order. This Court takes strong exception out of aforesaid inaction on the part of the authority concerned who has passed the order dated 4.12.2018.

Therefore, a writ in the nature of certiorari is issued quashing the suspension order dated 4.12.2018 passed by the Additional Chief Secretary, Secretariat Administration Department, Government of Uttar Pradesh, Civil Secretariat, Lucknow, Annexure no. 1 to the writ petition.

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Since the charge-sheet has already been prepared against the petitioner and inquiry officer has also been appointed, therefore, the competent authority / disciplinary authority may conduct and conclude the departmental inquiry to its logical end but strictly in accordance with law following principles of natural justice. It is also expected that the departmental inquiry against the petitioner, if it is so required shall be concluded with expedition and any appropriate order would be passed by the disciplinary authority, if so required with promptness.

The petitioner is directed to cooperate in the departmental inquiry properly, inasmuch as, no departmental inquiry may be conducted and concluded to its logical end, if the incumbent / employee does not cooperate with the departmental proceedings.

Therefore, in view of the above the writ petition is allowed.

No order as to costs.

Before parting with, this Court wants that the concern of the Court, as expressed herein above by this order, be brought into the kind notice of the Chief Secretary, State of U.P., Lucknow. Therefore, the Senior Registrar of this Court shall send a copy of this order within three days to the Chief Secretary, State of U.P., Lucknow for information and necessary **orders to be passed directing all the authorities of the State of U.P. to follow the necessary provisions of law when any suspension order is passed against any officer / official of the State.**

2. ज्ञातव्य है कि कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में ही उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 निर्गत की गयी है। उक्त नियमावली के नियम-4 में निलम्बन के संबंध में मुख्य रूप से निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है

(1) कोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जांच अनुध्यात है या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच के समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हो कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता होः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल द्वारा इस निमित जारी आदेश द्वारा सशक्त विभागाध्यक्ष समूह-''क'' और ''ख'' पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा,

परन्तु यह और भी कि समूह-''ग'' और ''घ'' पदों के किसी सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग के मामलें में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने ठीक निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, जिसके संबंध में या जिसके विरूद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गयी हो उसके विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियां समाप्त न हो जायें।

(3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अड़तालिस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो चाहें निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलम्बित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गय समझा जायेगा।

(ख) उपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप मे सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरूद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मामलें के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस नियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपांतरण करने के लिये समुचित आदेश पारित करेगा।

(4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरायें जाने के कारण उसे अड़तालिस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, तो इस नियमावली के अधीन निलम्बन के लिये सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालिस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिये कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा।

(5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामलें की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिये किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां-

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा,

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप नियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामलें में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामलें की अग्रतर जांच या कार्यवाही के लिये या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो , उन अभिकथनों पर उसके विरूद्ध अग्रतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

(6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणाम स्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामलें की परिस्थितियों पर विचार करने पर उसके विरूद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूल रूप में आरोपित की गयी थी, अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहे या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाये या उसके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां-

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश के नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा,

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

(7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक कि ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस उपान्तरित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाय।

(9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन या निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-दो से चार के फण्डामेन्टल रूल 53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

3. मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/संवीक्षा दिनांक 12.04.2019 के समादर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय की उपरिसन्दर्भित संवीक्षा एवं पूर्व प्रस्तर-2 में उल्लिखित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय

मुख्य सचिव।

संख्या-2/2019/13(9)/1998(1)/का-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डायुक्त एवं जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
6. सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ।
8. सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ।
9. मीडिया सलाहकार मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा में,

मुकुल सिंहल

अपर मुख्य सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in